



राजस्थान सरकार

निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.1(ए)/104/पदो./नि.सचिव/2020-21/संस्था/बीमा/

दिनांक : 10-12-2020


आदेश 480

निजी सचिव की वर्ष 2020-21 की रिक्तियों के विरुद्ध दिनांक 10.12.2020 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित अतिरिक्त निजी सचिवों को निजी सचिव के पद पर पे बैण्ड 15600-39100 (पी.बी.3) (ग्रेड-पे-6000) (Level-15 in Pay Matrix) में पदोन्नत किया जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है-

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	वर्ग	चयन वर्ष	पद रिक्ति दिनांक	वर्तमान पदस्थापन	नवीन पदस्थापन
1	श्री राजकुमार जटिया	अजा	2020-21	01.07.2020	अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन) मुख्यालय, जयपुर	अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन) मुख्यालय, जयपुर
2	श्रीमती ललिता माणक	-	2020-21	01.10.2020	साबीयो, जयपुर	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक(बीमा), मुख्यालय, जयपुर

उक्त कार्मिकों की निजी सचिव के पद पर पदोन्नति एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 854/11 श्रीमती ललिता बनाम राज्य एवं एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 855/11 श्रीमती सुनीता बनाम राज्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन की जाती है।


सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है।


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.1(ए)/104/पदो./नि.सचिव/2020-21/संस्था/बीमा/10658-669 दिनांक : 10-12-2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक महोदय, राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य लेखाधिकारी, राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक, साधारण बीमा निधि, राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग, वित्त भवन, राजस्थान, जयपुर।
6. सहायक लेखाधिकारी ग्रेड द्वितीय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, लेखाशाखा, जयपुर।
7. सिस्टम्स एनालिस्ट, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि कृपया उक्त आदेश को विभाग की वेब साइट <http://sipf.rajasthan.gov.in> पर अपलोड करावें।
8. संबंधित कार्मिक ।
9. केडर स्ट्रेन्थ लिपिक/वरिष्ठता निर्धारक लिपिक ।
10. सम्बन्धित सेवा पुस्तिका लिपिक/निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली ।


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग,
राजस्थान, जयपुर